आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म
(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या– 813/बी.एफ.टी./10/13–14

दिनांक 06-1-15

सेवा में,

श्री विकास जैन
पुत्र श्री सत्यनारायण जैन
निवासी– 17– गोपाल कुंज, बाईपास रोड, आगरा।
आगरा।

महोदय/महोदया,

खसरा संख्या–174पी,177पी,178पी,179पी,180पी, मौजा बसई मुस्त0 चुंगी बाहर, आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार का स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी भी नाति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकडे बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप मे हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शे मे दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृत अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
8. पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु जमा धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
9. स्ट्रक्चरल डिजाइन Competent Authority से Vett करवाने के उपरांत ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या..तद दिनांक

प्रतिलिपि:–

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0........................दिनांक........................के सन्दर्भ मे फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रर्वतन अनुभाग को सूचनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म (भाग–2)

परमिट संख्या– 813/बी.एन.टी/10/13-14 दिनांक 06 1·15

सेवा में,

श्री/श्रीमती, विकास जैन
पुत्र श्री सत्य नारायण जैन
निवासी– 17– गोपाल कुंज, बाईपास रोड, आगरा।

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें
निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

(क) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।

(ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

(1) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में यह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(2) भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियाँ सीमेन्ट, स्टील, ब्रिक्स, ईंट कोर्स रेल्स एवं गार्डर तथा कन्क्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेंगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रखनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई निरीक्षक स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जावे तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

(3) निर्माण कार्य का आवधिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही कराया जायेगा। केन्द्र/अथॉरिटी द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल लायबिलिटी की परिधि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(5) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर साइट डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार अंकित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगा।

(1) निजी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

(3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चरल की ड्राइंग्स एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल विवरण।

(4) अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त वर्किंग डिजाइन जिसमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी० एण्ड पी० का विवरण।

(6) साइट इन्जीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

(6) मुख्य अग्नि-शमन अधिकारी तथा पी०डब्ल्यू०डी०, नगर निगम, जलकल एवं अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र

भवदीय

(हस्ताक्षर)
मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या.................... तददिनांक

प्रतिलिपि:-

1. नगर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्बन्धित अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०.................... दिनांक.................... के सन्दर्भ में कार्यवाही से प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

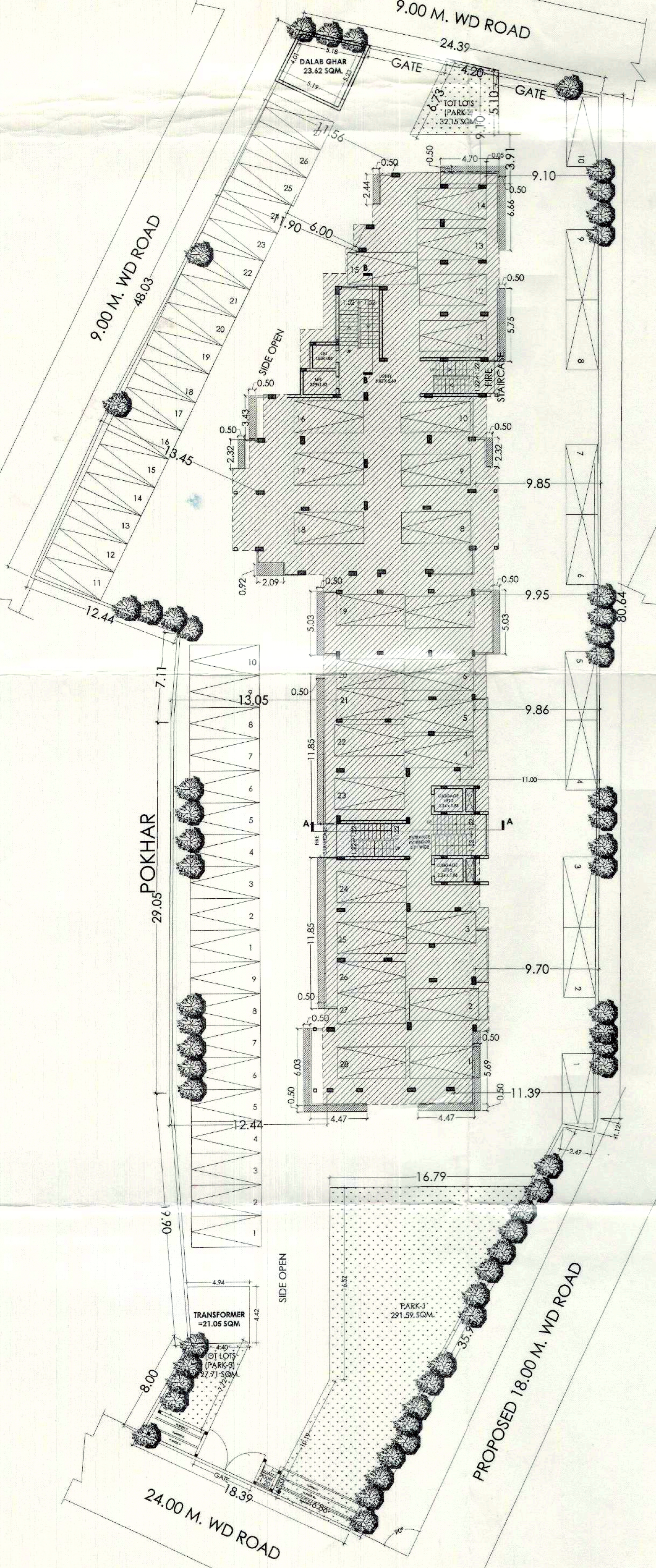

STILT/PARKING FLOOR PLAN

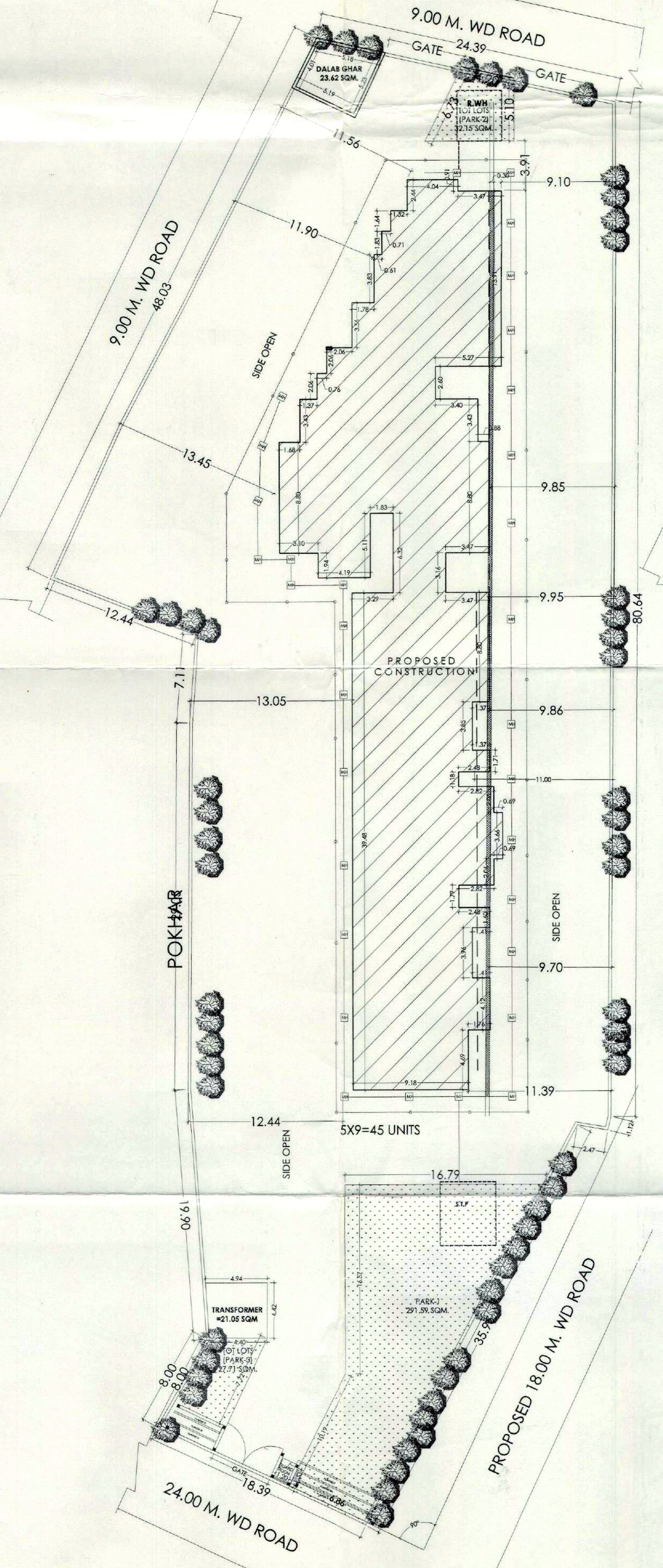

SITE PLAN

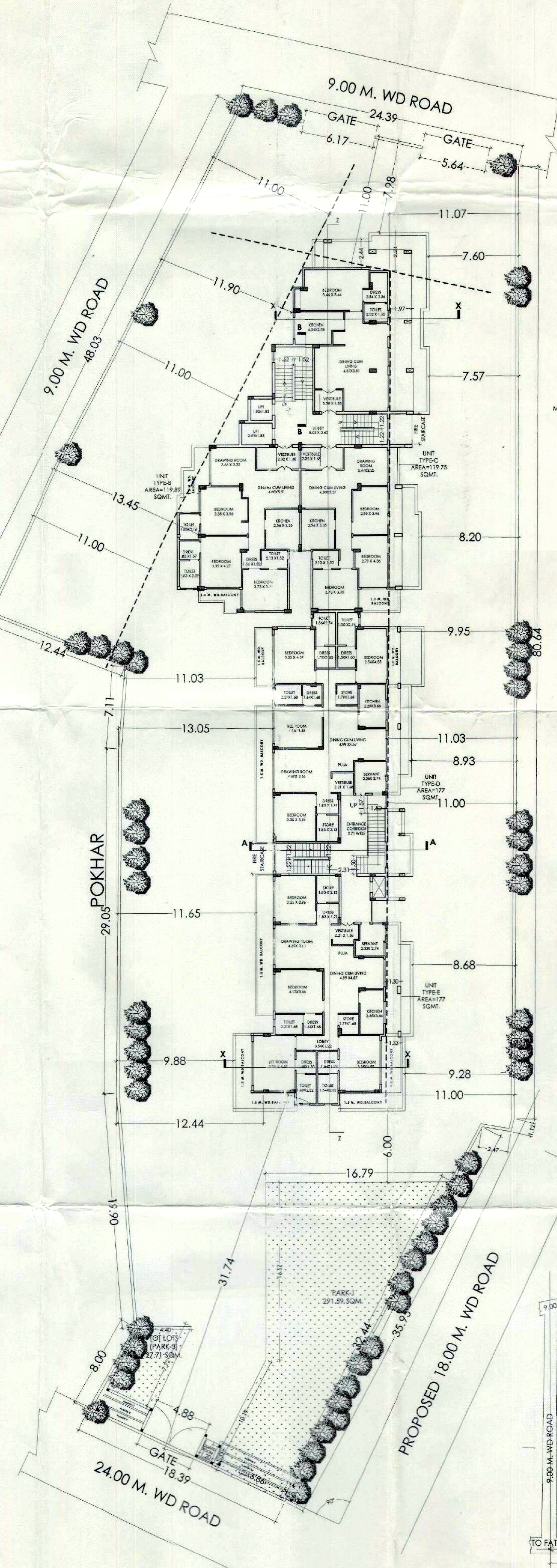

PROPOSED EIGHT FLOOR PLAN WITH SITE

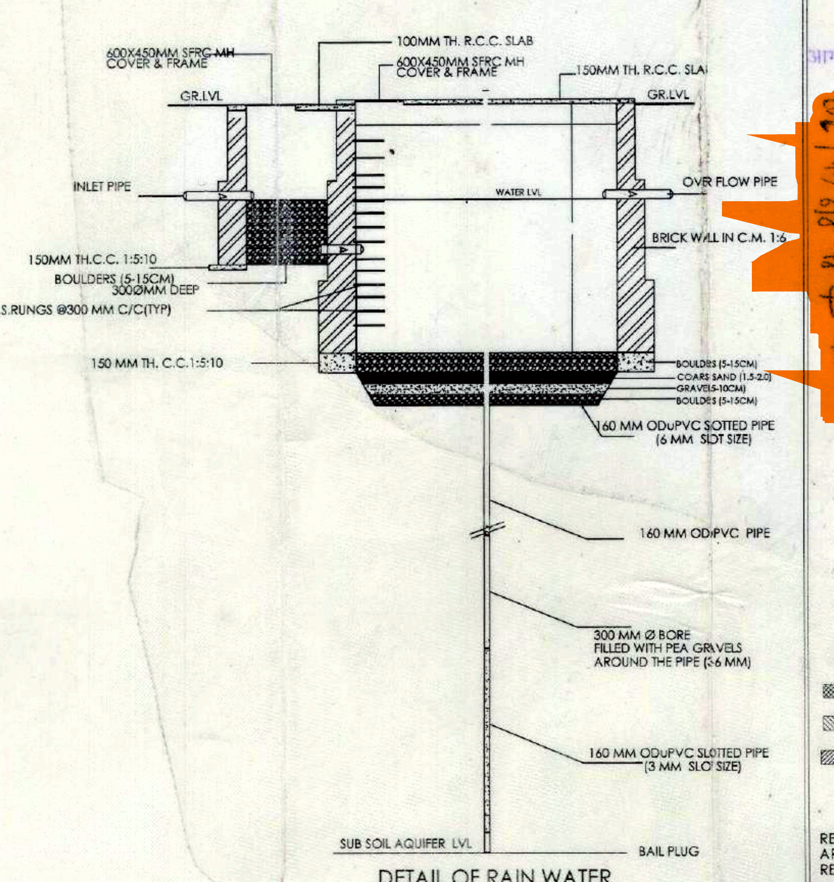

DETAIL OF RAIN WATER HARVESTING SYSTEM

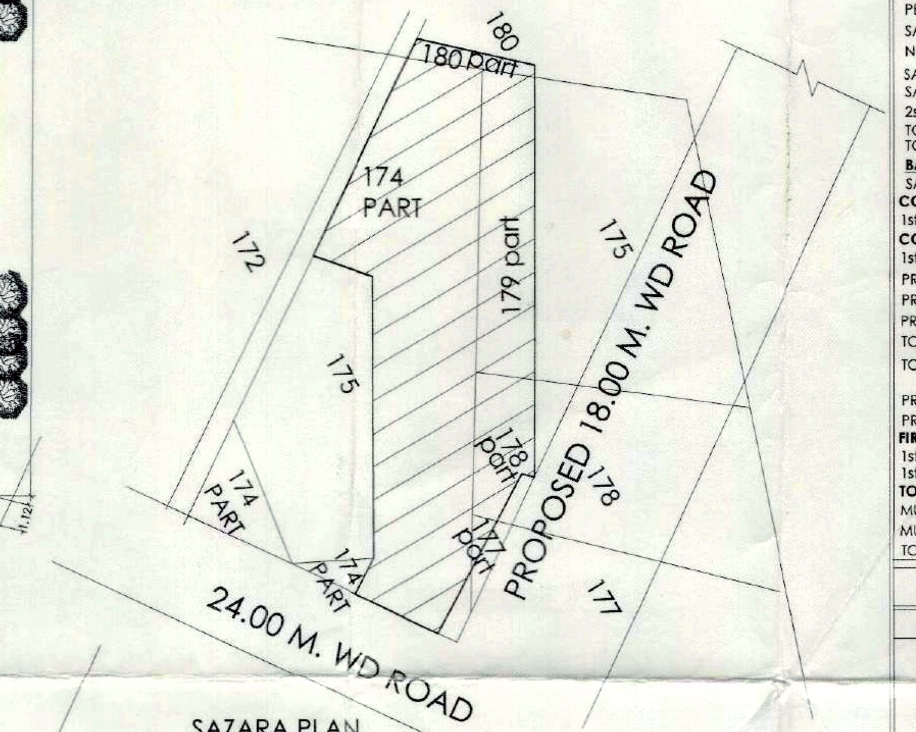

SAZARA PLAN

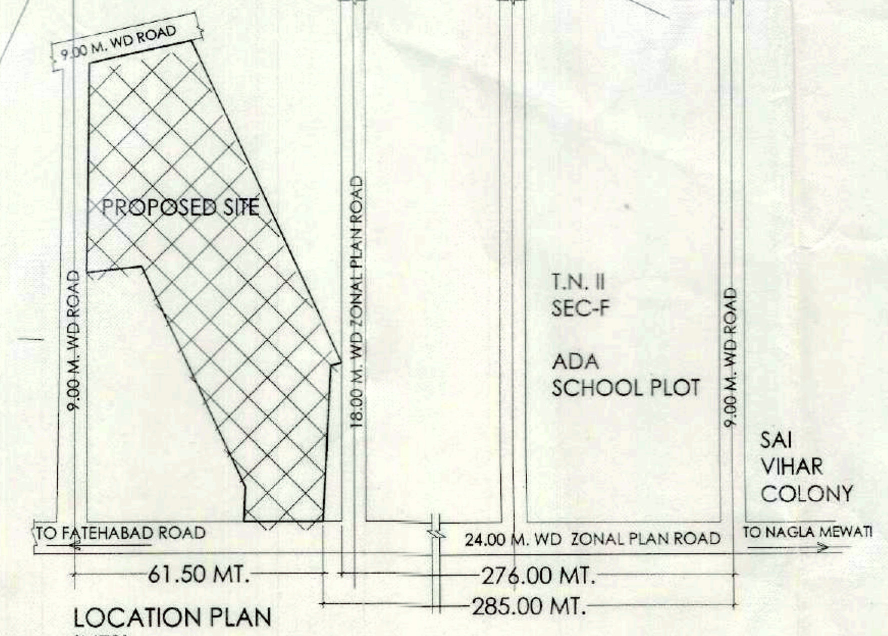

LOCATION PLAN (NTS)

सौर्य ऊर्जा अपनाओ
बिजली बचाओ
श्रमविभाग मे पजीकृत श्रमिकों से कार्य कराना होगा।
परमिट पर अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

मानचित्र की वैधता दिनांक 05-01-2020 तक रहेगी।

SPACE FOR SEAL **SHEET NO. 01**

Admission

अवर अभियन्ता (भवन), आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
अधिशासी अभियन्ता (भवन) आगरा विकास प्राधिकरण

नोट:- उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दि० 07-3-2020 के अन्तर्गत इस मानचित्र की 03 वर्ष की समयवृद्धि दि० 05-01-2020 से दि० 04-01-2023 तक की प्रदान की गयी है।

19/3/2020

= COMPOUNDING AREA

= COMPOUNDING PROJECTION AREA

EXISTING & SANCTIONED = 47 UNITS

REQUIRED CAR PARKING PER 100 SQM 1.25 CARS
AREA ABOVE 100 SQM =27
REQUIRED CAR PARKING = 27X1.25 = 33.75 CARS
REQUIRED CAR PARKING PER 150 SQM 1.50 CARS
AREA ABOVE 150 SQM =20 CARS
REQUIRED CAR PARKING = 20 X1.50 =30
CAR PARKING = 64 cars
REQUIRED CAR PARKING10% FOR VISITORS = 7 CARS
REQUIRED TOTAL CAR PARKING = 71cars
TOTAL CAR PARKING = 74cars

LEGEND:-

- PROP. CONST. SOWN THUS
- OTHERS PROPERTY
- DRAINAGE/SEWAGE

AREA CHART		SQ MT. %
DESCRIPTION		AREA
TOTAL PLOT AREA		= 3514.50
PARK AREA		= 351.45
LAND AREA @90% OF TOTAL LAND AREA		= 3163.05
PERMISSIBLE FAR @2.5 OF 90% TOTAL LAND AREA		= 7907.62
SANCTIONED COVERED AREA AT STILT/PARKING NOT INCLUDED IN FAR		= 1092.34
SANCTIONED COVERED AREA AT 1ST FLOOR		837.36
SANCTIONED COVERED AREA AT TYPICAL FLOOR		
2st,to 7th FLOOR	(819.78x6)	= 4918.68
TOTAL AREA		= 5756.04
TOTAL SANCTIONED COVD. AREA		= 5838.00
BALANCED SANCTIONED COVERED AREA		**= 81.96**
SANCTIONED GUARD ROOM		= 1.60
COMPOUNDING AREA AT TYPICAL FLOOR		
1st,to 8th FLOOR	(21.71x8)	= 173.68
COMPOUNDING PROJECTION AREA AT TYPICAL FLOOR		
1st,to 7th FLOOR	(43.47x7)	= 304.29
PROPOSED COVERED AREA AT 8th FLOOR		= 742.89
PROPOSED COVERED AREA AT 9th. FLOOR		= 742.89
PROPOSED COVERED AREA AT 10th FLOOR		= 384.18
TOTAL PROPOSED COVD. AREA		= 1869.96
TOTAL PROPOSED COVD. + SANCTIONED COVD. AREA	1869.96+5756.04	= 7626.00
PROPOSED AREA DALABH GHAR		= 23.62
PROPOSED AREA TRANSFORMER		= 21.05
FIRE STAIR AREA AT TYPICAL FLOOR		
1st,to 9th FLOOR	(11.28x9)	= 101.52
1st,to 10th FLOOR	(11.28x10)	= 112.80
TOTAL FIRE STAIR AREA		= 214.32
MUMTY-1 COVD. AREA		= 61.98
MUMTY-2 COVD. AREA		= 53.04
TOTAL MUMTY COVD. AREA		= 115.02

SCHEDULE OF OPENINGS

ABBR.	DESCRIPTION	SIZE
D/W1	DOOR / WINDOW	2.44X2.10
D/W2	DO	2.36X2.10
D/W3	DO	1.68X2.10
D/W4	DO	1.37X2.10
D1	SINGLE LEAF DOOR	1.00X2.10
D2	DO	0.90X2.10
D3	DO	0.76X2.10
W1	WINDOW	2.13X1.20
W2	DO	0.91X1.20
V1	VENTILATOR	0.61X0.61

EXISTING/PROPOSED BUILDING PLAN OF GROUP HOUSING"**ANUMANTRAN**" SITUATED ON KHASRA NO. PART PART 174 , PART -177, PART-178,PART-179,PART-180 MAUZA BASAIMUSTGIL FATEHABAAD ROAD ,AGRA

Vidhika Infradevelopers Pvt. Ltd
Authorised Signatory

OWNER:- VIDHIKA INFRA DEVLOPERS PVT. LTD. AGRA

OWNER SIGNATURE

AR. SIDDARTH SHARMA
B. Arch, M.PLAN (Housing)
CA/99/24977
Prakash Bhawan
45, M. G. Road, AGRA-282 002
Ph. : 0562-2265766

ARCHITECT SIGNATURE

DRG. BY:-
DATE:-
SCALE :- 1:100

ARCHITECTS :

V.P.SHARMA
B.Arch.,F.I.I.A.,F.I.V.
SIDDARTH SHARMA
B.Arch.,M.Plan. (Housing)
SHARMA AND ASSOCIATES
45, MAHATMA GANDHI ROAD, AGRA. 282002
PHONE : 2265766, MOBILE : 98370/90499

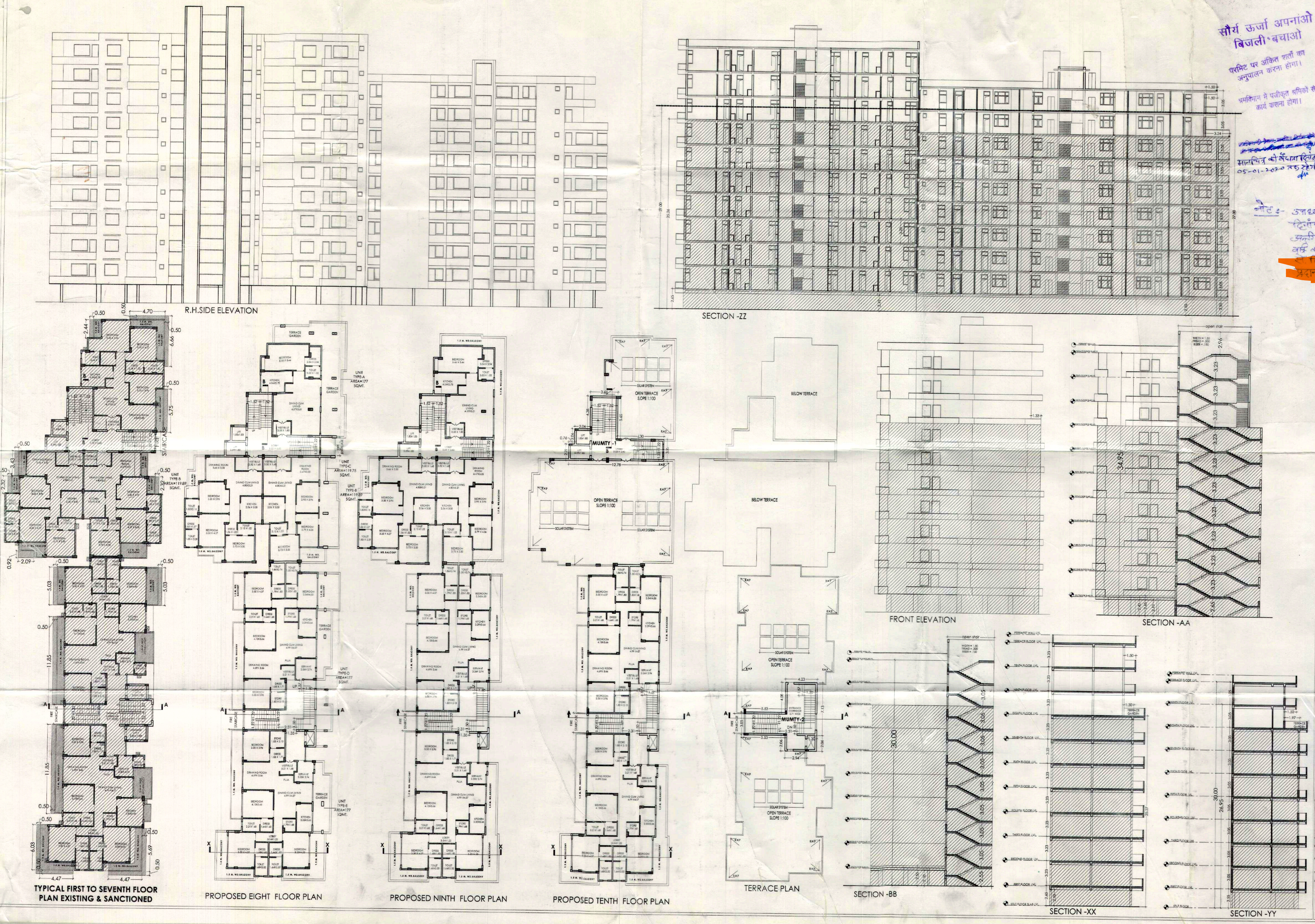

सौर्य ऊर्जा अपनाओ
बिजली बचाओ

परमिट पर अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

श्रमविभाग मे पंजीकृत श्रमिकों से कार्य कराना होगा।

मानचित्र की वैधता दिनांक 05-01-2020 तक रहेगी।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

नोट:- उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक-07-03-2020 के अन्तर्गत इस मानचित्र की 03 वर्ष की समयवृद्धि दि०-05-01-2020 से दि०-04-01-2023 तक की प्रदान की गयी है।

19/3/2020

SPACE FOR SEAL | **SHEET NO. 02**

▦ = COMPOUNDING AREA

▦ = COMPOUNDING PROJECTION AREA

▦ EXISTING & SANCTIONED = 47 UNITS

REQUIRED CAR PARKING PER 100 SQM 1.25 CARS
AREA ABOVE 100 SQM =27
REQUIRED CAR PARKING = 27X1.25 = 33.75 CARS

REQUIRED CAR PARKING PER 150 SQM 1.50 CARS
AREA ABOVE 150 SQM =20 CARS
REQUIRED CAR PARKING = 20 X1.50 =30
CAR PARKING = 64 cars
REQUIRED CAR PARKING10% FOR VISITORS = 7 CARS
REQUIRED TOTAL CAR PARKING = 71cars

TOTAL CAR PARKING = 74cars

LEGEND:-

PROP. CONST. SOWN THUS
OTHERS PROPERTY
DRAINAGE/SEWAGE

AREA CHART — **SQ MT. %**

DESCRIPTION		AREA
TOTAL PLOT AREA		= 3514.50
PARK AREA		= 351.45
LAND AREA @90% OF TOTAL LAND AREA		= 3163.05
PERMISSIBLE FAR @2.5 OF 90% TOTAL LAND AREA		= 7907.62
SANCTIONED COVERED AREA AT STILT/PARKING NOT INCLUDED IN FAR		= 1092.34
TOTAL SANCTIONED COVD.1st to 7th floor AREA		= 5838.00
EXISTING BUILT UP COVERED AREA AT 1ST FLOOR		= 837.36
EXISTING BUILT UP COVERED AREA AT TYPICAL FLOOR 2st,to 7th FLOOR	(819.78x6)	= 4918.68
TOTAL EXISTING BUILT UP COVERED AREA		= 5756.04
BALANCED SANCTIONED COVERED AREA		**= 81.96**
SANCTIONED GUARD ROOM		= 1.60
COMPOUNDING AREA AT TYPICAL FLOOR		
1st,to 8th FLOOR	(21.71x8)	= 173.68
COMPOUNDING PROJECTION AREA AT TYPICAL FLOOR		
1st,to 7th FLOOR	(43.47x7)	= 304.29
PROPOSED COVERED AREA AT 8th FLOOR		= 742.89
PROPOSED COVERED AREA AT 9th. FLOOR		= 742.89
PROPOSED COVERED AREA AT 10th FLOOR		= 384.18
TOTAL PROPOSED COVD. AREA		= 1869.96
TOTAL PROPOSED COVD. + EXISTING BUILT UP COVD. AREA	1869.96+5756.04	= 7626.00
PROPOSED AREA DALABH GHAR		= 23.62
PROPOSED AREA TRANSFORMER		= 21.05
FIRE STAIR AREA AT TYPICAL FLOOR		
1st,to 9th FLOOR	(11.28x9)	= 101.52
1st,to 10th FLOOR	(11.28x10)	= 112.80
TOTAL FIRE STAIR AREA		= 214.32
MUMTY-1 COVD. AREA		= 61.98
MUMTY-2 COVD. AREA		= 53.04
TOTAL MUMTY COVD. AREA		= 115.02

SCHEDULE OF OPENINGS

ABBR.	DESCRIPTION	SIZE
D/W1	DOOR / WINDOW	2.44X2.10
D/W2	DO	2.36X2.10
D/W3	DO	1.68X2.10
D/W4	DO	1.37X2.10
D1	SINGLE LEAF DOOR	1.00X2.10
D2	DO	0.90X2.10
D3	DO	0.76X2.10
W1	WINDOW	2.13X1.20
W2	DO	0.91X1.20
V1	VENTILATOR	0.61X0.61

EXISTING/PROPOSED BUILDING PLAN OF GROUP HOUSING"**ANUMANTRAN**" SITUATED ON KHASRA NO. PART PART 174 , PART -177, PART-178,PART-179,PART-180 MAUZA BASAIMUSTGIL FATEHABAAD ROAD ,AGRA

OWNER:- VIDHIKA INFRA DEVLOPERS PVT. LTD. AGRA

For Vidhika Infradevelopers Pvt. Ltd
Authorised Signatory
OWNER SIGNATURE

DRG. BY:-
DATE:-
SCALE :- 1:100

AR. SIDDARTH SHARMA
B. Arch, M.PLAN (Housing)
CA/99/24977
ARCHITECT SIGNATURE

ARCHITECTS :
V.P. SHARMA
SIDDARTH SHARMA
B.Arch.,M.Plan. (Housing)
SHARMA AND ASSOCIATES
45, MAHATMA GANDHI ROAD, AGRA. 282002
PHONE : 2265766. MOBILE : 98370/90499